



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18022025-261137
CG-DL-E-18022025-261137

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 56]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 18, 2025/माघ 29, 1946

No. 56]

NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 18, 2025/MAGHA 29, 1946

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 फरवरी, 2025

फा. सं. वी-11026/77/2023.—केंद्रीय सरकार, आयुध नियम 2016 के नियम 10 के उपनियम (3) के अनुसरण में यह अधिसूचित करती है कि उक्त नियमों के नियम 10 के उपनियम (1) में यथाविनिर्दिष्ट सुरक्षा प्रशिक्षण पाठ्यक्रम नीचे दी गई पाठ्यचर्या के अनुसार छह सत्रों से मिलकर बनी 270 मिनट से अन्यून अवधि का होगा, अर्थात:-

आयुध और गोलाबारूद सुरक्षा प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या

क्र.सं.	विषय	उपविषय	अवधि
1	सत्र 1: मूलभूत आयुध और गोलाबारूद सुरक्षा व्यवहार की प्रस्तावना, जिसके अंतर्गत सुरक्षित ढंग से संभालना और ले जाने की प्रक्रियाएं भी हैं।	क. विभिन्न प्रकार के व्यक्तिगत शस्त्रों और गोलाबारूद को समझना ख. शस्त्रों और गोलाबारूद को सुरक्षित ढंग से संभालने और ले जाने की रूप रेखा ग. शस्त्रों और गोलाबारूद के भागों और अवयवों की रूप रेखा घ. अग्नि आयुधों के प्रकार (प्रतिषिद्ध, निर्बन्धित, अनुज्ञेय)	45 मिनट

2	सत्र 2: गोली चलाने की तकनीकें और प्रक्रियाएं	क. गोली चलाने की तकनीकों और प्रक्रियाओं की मूलभूत बातें ख. शस्त्र की सुरक्षा क्रियाविधियों को समझना ग. प्रत्येक प्रकार के शस्त्र के अनुरूप गोलाबारूद के प्रकार	45 मिनट
3	सत्र 3: आयुध और गोलाबारूद की देखभाल	उचित सफाई तकनीकें जिसके अंतर्गत, अन्य बातों के साथ, बैरल को साफ करना, उचित ढंग से तेल लगाना, और सबूत परीक्षण की मूल बातें भी हैं	45 मिनट
4	सत्र 4: सुरक्षित भंडारण और परिवहन	क. अग्नि आयुधों और गोलाबारूद का सुरक्षित और संरक्षित भंडारण ख. शस्त्रों के परिवहन और उनके साथ यात्रा में सुरक्षा पूर्वावधानियां	45 मिनट
5	सत्र 5: आयुध अधिनियम, नियमों और सरकार द्वारा जारी किए गए अन्य कार्यकारी अनुदेशों का कार्य करने लायक ज्ञान	क. भारत में व्यक्तिगत शस्त्र के स्वामित्व के लिए विधिक अपेक्षाएं और उत्तरदायित्व ख. विभिन्न प्रकार के शस्त्रों के अनुज्ञप्ति प्राप्त करना, अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण, अभ्यर्पण और अंतरण ग. अपराधों के लिए शास्तियां	45 मिनट
6	सत्र 6: आयुध के स्वामी या उपयोक्ता के विशेषकर बच्चों के संबंध में उत्तरदायित्व प्रश्न और उत्तर	क. करने और न करने योग्य बातें (बच्चों की उपस्थिति में आयुधों को संभालने पर विशेष जोर) ख. भागीदारों द्वारा प्रश्न और उत्तर	45 मिनट
6.	(सत्रों की कुल संख्या)		270 मिनट

2. यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

अनिल सुब्रमण्यम, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 18th February, 2025

F. No. V-11026/77/2023.—In pursuance of Sub-rule (3) of rule 10 of the Arms Rules, 2016 the Central Government hereby notify that the safety training course as specified in sub-rule (1) of rule 10 of the said rules, shall be for a duration not less than of 270 minutes comprising six sessions as per the syllabus given below, namely:-

ARMS AND AMMUNITION SAFETY TRAINING COURSE SYLLABUS

S.No.	Topic	Sub-Topic	Duration
1.	Session 1: Introduction Basic arms and ammunition safety practices, including safe handling and carry procedures	a. Understanding the different types of personal weapons and ammunitions b. Overview of safe handling and carrying of weapons and ammunitions c. Overview of the parts and components of weapons and ammunitions. d. Types of firearms (prohibited, restricted, permissible)	45 minutes
2.	Session 2: Firing Techniques and Procedures	a. Basics of firing techniques and procedures b. Understanding safety mechanisms of a weapon c. Types of ammunition compatible with each type of weapon	45 minutes
3.	Session 3: Care of Arm and Ammunition	Proper cleaning techniques, including, inter-alia barrel cleaning, appropriate oiling methods, and basics of proof-test	45 minutes
4.	Session 4: Safe storage and Transportation	a. Safe and secure storage of firearms and ammunition b. Safety precautions in transportation and travel with weapons	45 minutes
5.	Session 5: Working Knowledge of Arms Act, Rules and other executive instructions issued by Government	a. Legal requirements and responsibilities of owning a personal weapon in India b. Obtaining licenses for various types of weapons, renewal of licence, surrender, and transfer of weapons c. Penalties for offences	45 minutes
6.	Session 6: Responsibilities of the Arms owner or user, particularly in relation to Children Q & A	a. Do and don'ts (special emphasis on handling of arms in presence of children) b. Question & Answer by the participants	45 minutes
6.	(Total No. of Sessions)		270 minutes

2. This notification shall come into force on the date of publication in the Official Gazette.

ANIL SUBRAMANIAM, Jt. Secy.